(23)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2802–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–3–2015 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील व जिला खरगोन, प्रकरण कमांक 78/अ–27/2013–14.

.....

1–कृष्णकांत पिता श्री पुरूषोत्तम महाजन
निवासी कलाली मोहल्ला खरगोन म0प्र0
2–जगन्नाथ पिता श्री पुरूषोत्तम महाजन
तर्फ वारिसान
1–श्रीमती सुमनबाई बेवा जगन्नाथ महाजन
2–अजय पिता स्व0श्री जगन्नाथ महाजन
3–श्यामकुमार पिता स्व0श्री जगन्नाथ महाजन
सभी निवासी कलाली मोहल्ला खरगोन म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

रामचन्द्र पिता श्री पुरूषोत्तम महाजन
निवासी 556 कालानी नगर एरोड्रम रोड
इंदौर म0प्र0

..... अनावेदक

.....

श्री मुकेश तारे , अभिभाषक– आवेदकगण
श्री एच0एन0फड़के, अभिभाषक– अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/8/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार तहसील व जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–3–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार खरगोन के समक्ष उभयपक्ष के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि ग्राम आदमपुरा हल्का (रहीमपुर) स्थित भूमि सर्वे नम्बर 67 रकबा 5.677 हेक्टेयर भूमि के बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 78/अ–27/13–14 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदक के दिनांक 07–01–2015 को अनुपस्थित होने पर प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया तत्पश्चात् अनावेदक द्वारा पुर्नस्थापन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 18–03–2015 को आदेश पारित कर प्रकरण पुर्नस्थापित किया जाकर प्रकरण गुणदोष पर नियत किया गया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा पृथक से पुर्नस्थापन प्रकरण दर्ज किये बगैर अनावेदक का आवेदन पत्र स्वीकार करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि पुर्नस्थापन आवेदन पत्र दो माह विलम्ब से प्रस्तुत किया गया था और अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत विलम्ब क्षमा हेतु शपथपत्र सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था । इसके बावजूद भी तहसील न्यायालय द्वारा विलम्ब से प्रस्तुत आवेदन पुर्नस्थापन आवेदन पत्र को स्वीकार करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । तहसील न्ययालय द्वारा प्रकरण पुर्नस्थापित करने में इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया है कि पिछली तीन पेशियों से अनावेदक उपस्थित नहीं हो रहा था । इससे स्पष्ट है कि वह प्रकरण चलाने में रूचि नहीं ले रहा था, इसके बावजूद प्रकरण पुर्नस्थापित करने में त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण पुर्नस्थापित होने के पश्चात् आवेदकगण द्वारा उपस्थित होकर पक्ष समर्थन किया गया है और तहसील न्यायालय द्वारा बटवारा प्रकरण में तीन माह के लिये कार्यवाही भी स्थगित की गई है, परन्तु आवेदकगण द्वारा व्यवहार न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि इस न्यायालय में

निगरानी तहसील न्यायालय में प्रचलित प्रकरण को लंबित रखने के उद्देश्य से की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर करने के उद्देश्य से प्रकरण पुर्नस्थापित किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के अभिलेख से अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण बटवारे का प्रथमदृष्टया अधिकार सहखातेदार को होता है, इसलिये प्रकरण का निराकरण गुणदोष किये जाने के लिये उभयपक्षों को सुना जाना ही यथोचित उपचार है । अतः तहसीलदार द्वारा की जा रही कार्यवाही न्यायसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय तहसीलदार तहसील व जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–3–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर